

304
23

2023/766

"न्याय आपके द्वार"
राजस्व लोक अदालत
2010

सेवा

श्रीमान उप सर अधिकाारी महोदय
चित्तौरीगढ़

विषय:- सामाजिक जाति/नाम संशोधन के सम्बन्ध में।

प्राणि पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 956 की धारा 136
अनुसार श्री जन्तुबाई पिता/पति रतनलाल धाकड़
बनाम
राजस्व कारकार जरिये तहसीलदार चित्तौरीगढ़

महोदय,

उपरोक्त विषय एवं अनुषांग में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी जन्तुबाई
पिता/पति रतनलाल धाकड़ पिता फाल्गु का/के/ हूँ/हैं।
मेरे/हमारे पिता फाल्गु के राजस्व प्रमाण फाल्गु में खाता संख्या
207, 208, 290 केत 8, 21 रकबा 0.23, 0.30 भूमि दर्ज रिकार्ड है जिसमें
मैं/हमारी जाति/नाम जन्तुबाई दर्ज है जिसको मैं/हम सामाजिक रूप
में जन्तुबाई दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहती हूँ।
अतः मैं/हमारी जाति/नाम जन्तुबाई के बजाय जन्तुबाई दर्ज
करवाया जाय।
दिनांक 29.4.23

जन्तुबाई
हस्ताक्षर
प्रार्थी/व अन्य

प्रशासन गावों के संग अभियान-2023

रिपोर्ट पटवारी द्वारा फाल्गु
महोदयजी,
निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री जन्तुबाई पिता/पति रतनलाल धाकड़
फाल्गु राजस्व ग्राम फाल्गु प.ह. फाल्गु की जमाबन्दी में
प्रार्थी/प्रार्थीयान सामाजिक जाति/नाम के रूप में जन्तुबाई दर्ज करवाना
चाहता है/चाहती है। दोनों जातियाँ एक ही श्रेणी की हैं/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के
हैं। इस इलाके में संशोधन एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना
उचित है।

चित्तौरीगढ़

29.4.23